

जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान, उत्तराखण्ड में

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के संबंध में सूचना –

(The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof)

जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की नीतियों का निर्धारण राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड की प्रबन्धकारिणी समिति/शोध सलाहकार समिति एवं उद्यान एवं रेशम अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है एवं कार्यान्वयन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णय के अनुसार किया जाता है। नीति निर्धारण के पूर्व सुयोग्य एवं शासन व प्रशासन तथा तकनीकी विशेषज्ञों से व्यापक विचार विमर्श किया जाता है। शासन द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप निदेशक द्वारा सांस्थनिक क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है।